UPKS010034402026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–4, कौशाम्बी।

पीठासीन अधिकारी–प्रकाश चन्द्र शुक्ला .....एच.जे.एस.
आई.डी. नम्बर–यू.पी.1625

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 1374/2026

सरकार बनाम शिव मूरत।

मु0अ0सं0–459/2018
धारा–135 भारतीय विद्युत अधिनियम
थाना–पूरामुफ्ती
जनपद कौशाम्बी।

21.08.2026

प्रार्थी/अभियुक्त शिव मूरत की ओर से मु0अ0सं0–459/ 2018, धारा–135 विद्युत अधिनियम, थाना पूरामुफ्ती, जनपद कौशाम्बी के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त आत्म समर्ण कर न्यायिक अभिरक्षा में है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त आत्म समर्ण कर न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थी ने कोई भी विद्युत की चोरी नही किया है। अतः प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाये।

जबकि अभियोजन की ओर से विद्युत चोरी किये जा रहे होने के आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध विद्युत चोरी का आरोप है। अभियुक्त की ओर से जो कथन किये गये हैं वह साक्ष्य का विषय है। अभियुक्त आत्म समर्ण कर न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः इस स्तर पर मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त शिव मूरत का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 10,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

(प्रकाश चन्द्र शुक्ला)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–4
कौशाम्बी।

Digitally signed by PRAKASH CHANDRA SHUKLA
Date: 2026.08.21 15:54:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court